यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार: 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 71 / 2017 **दिनांक :** 28.08.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

आईबीए के साथ वेतन पुनरीक्षण वार्ता

जैसा कि आपको पूर्व में अवगत कराया गया था कि आईबीए के साथ 23.08.2017 को वेतन पुनरीक्षण के विषय में बातचीत होनी थी। तद्नुरूप इस संदर्भ में 23.08.2017 को आईबीए कार्यालय, मुम्बई में बातचीत हुई जिसका संक्षिप्त ब्यौरा जो एआईबीईए, एनसीबीईए, बैफी, इन्बैफ तथा एनओबीडब्लू द्वारा जारी किया गया है, एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा अपने परिपत्र संख्या 28 / 23 / 2017 / 23 दिनांक 28.8.2017 के माध्यम से पुर्नप्रसारित किया गया है। हम इसका अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

23.8.2017 को आईबीए के साथ वेतन पुनरीक्षण वार्ता

हम 23.8.2017 को आईबीए के साथ हुए विचार विमर्श के सम्बन्ध में एआईबीईए–एनसीबीई–बैफी–इन्बैफ–एनओबीडब्लू द्वारा जारी संयुक्त परिपत्र को नीचे पुर्नप्रसारित कर रहे हैं।

''जैसा कि पूर्व में सूचित किया गया था, विचार विमर्श का एक और दौर 23 अगस्त, 2017 को मुम्बई में आईबीए कार्यालय में आईबीए नेगोशिएटिंग कमेटी की उप–समिति द्वारा हमारे संगठनों के साथ आयोजित किया गया था। आईबीए की तरफ से, उनकी टीम में श्री राकेश शर्मा (प्रबंध निदेशक–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केनरा बैंक), उप–समिति के चेयरमैन शामिल थे और हमारी टीम में हमारी 5 यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल थे।

विचार–विमर्श के दौरान, आईबीए के प्रतिनिधियों ने प्रबंधन के मुद्दों जैसे कॉस्ट टू कम्पनी पैकेज के विचार की प्रस्तुति, नियत–सह–परिवर्तनशील वेतन और कर्मचारियों की दक्षता और प्रदर्शन की पहचान करने के लिए प्रदर्शन संबंधित वेतन की आवश्यकता को समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि नई प्रणाली को वर्तमान कर्मचारियों को दिए गये विकल्प के साथ भविष्य के कर्मचारियों के लिए लागू किया जा सकता है। हमने इसके बारे में अपनी आशंकाओं को उठाया और कहा कि हमें संपूर्ण कार्यबल की दक्षता में और सुधार के बारे में और इसके लिए उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाये पर चर्चा करनी चाहिए ।

आईबीए के प्रतिनिधियों ने विशेष वेतन पदों के और सुव्यवस्थीकरण के लिए अपने सुझावों को समझाया। हमारी ओर से हमने कहा कि इस संबंध में किसी ठोस प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जा सकती है और अपनी माँग को भी समझाया कि वर्तमान कर्तव्यों और अधिकारों को विशेष वेतन के भाग में उपयुक्त वृद्धि के साथ संशोधित करने की आवश्यकता है।

जारी पृष्ठ 2

आईबीए ने तर्क दिया कि चूंकि बैंकों में लिपिकीय कर्मचारी की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक हो गई है, स्नातक के लिए दी गई अतिरिक्त 2 वेतनवृद्धियों को अब से रोक देना चाहिए। हमने बताया कि चूंकि न्यूनतम योग्यता को 12वीं तक संशोधित करने की आवश्यकता है और हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते।

चर्चा के दौरान आईबीए चाहती थी कि 8वें द्विपक्षीय समझौते के तहत परिनियोजन स्थानान्तरण के प्रावधान का अधिक्रमण किया जाये जिससे कि शास्त्री अवार्ड के पैरा 536 के कार्यान्वयन को सक्षम बनाया जा सके। हमने इंगित किया कि 8वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधान बैंकों की जरूरतों के लिए बिल्कुल उचित हैं।

आईबीए आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही को एक साथ प्रदान करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रावधानों को भी संशोधित करना चाहती थी। हम इस पर सहमत नहीं हुए क्योंकि यह कर्मचारियों के हितों के विरूद्ध होगा।

आईबीए पेंशन विनियमन में प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए भी संशोधन करना चाहती थी ताकि विभागीय जांच को सेवानिवृत्ति के उपरांत जारी रखा जा सके। हमने इंगित किया कि पेंशन विनियमन एक अधीनस्थ कानून है और द्विपक्षीय समझौता एक प्राथमिक कानून के तहत है और इसलिए पेंशन विनियमन को द्विपक्षीय समझौते के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा एस के कूल के मामले में प्रतिपादित किया गया है और इसके विपरीत नहीं।

आईबीए 55 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर किसी भी समय सार्वजनिक हित में कर्मचारियों को समयपूर्व सेवानिवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रावधान चाहती थी। हम इस पर सहमत नहीं हुए।

आईबीए के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि आगामी 11वें द्विपक्षीय समझौते में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आउटसोर्सिंग के लिए प्रावधान शामिल करना चाहिए। हम इस पर सहमत नहीं हुए।

इसके बाद, हमने अपनी माँगों जैसे अधिकतम पर पहुंचने के उपरांत 2 वर्ष के अंतराल पर समान रूप से अवरोध वेतनवृद्धि, 2001 = 100 सूचकांक श्रृंखला पर आधारित महंगाई भत्ता योजना में परिवर्तन, रूग्णावकाश में सुधार, अन्य अवकाश के साथ संयोजन में प्रसूति अवकाश का लाभ मिले, बच्चा गोद लेने की स्थिति में पितृत्व अवकाश, अवकाश किराया छूट पात्रता, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए अवकाश किराया छूट के तहत विशेष प्रावधान, राजधानी/शताब्दी ट्रेनों द्वारा यात्रा, सड़क माइलेज शुल्क में संशोधन, आदि को चर्चा के लिए उठाया। सार्थक चर्चायें इन मुद्दों पर हुईं और चर्चाओं को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया।

हमारी माँगों जैसे कि वेतन पुनरीक्षण पर अतिरिक्त भार, पुनरीक्षित वेतनमान और भत्ते, पुनरीक्षित महंगाई भत्ता सूत्र, मकान किराया भत्ता दरों आदि के सम्बन्ध में पूरी नेगोशिएटिंग कमेटी बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया क्योंकि ये कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सामान्य मुद्दे हैं।

6 सितम्बर, 2017 को उप–समिति की बैठक का अगला दौर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।"

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह0...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

15 सितम्बर, 2017 के
संसद मोर्चे की ओर बढ़ें
पूरी तरह संगठित हों – इसे व्यापक बनायें